

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना-बसन्तपुर-जैती मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई-10.00कि०मी०

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

अधिशारी अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

पटवारी क्षेत्र
कानूनगो

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
खैती (अल्मोड़ा)

राजस्व उपप्रिरीयक,
पुनर्वास, क्षेत्र फूरा
जिला-अल्मोड़ा
विभागांक

प्रतिस्नाक्षरित
जिलाधिकारी
जिला-अल्मोड़ा

वन क्षेत्र अधिकारी
खैती (अल्मोड़ा)

उपसहस्रमणीय वनाधिकारी
सिविल एवं सायन वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

प्रतिस्नाक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सायन वन प्रभाग,
अल्मोड़ा